सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी जिला – अजमेर (राज.)

राजस्व प्रार्थना पत्र – 143 / 2016

**पीठासीन अधिकारीः– श्री नीरज कुमार मीना (आर.ए.एस.)**

1. मोतीलाल पुत्र चकवा निवासी प्रतापपुरा तहसील सावर जिला अजमेर
2. हीरालाल पुत्र चकवा निवासी प्रतापपुरा तह.सावर जिला अजमेर

प्रार्थीगण

**बनाम**

1. भंवर,महेन्द्र पुत्र देवराज कोम राजपूत निवासी सावर तह.सावर जिला अजमेर
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार सावर तह. सावर जिला अजमेर

अप्राार्थीगण

3. हीरा देवी पुत्री चकवा जाति मीणा निवासी प्रतापपुरा तह.सावर जिला अजमेर

प्रफॉर्मा अप्रार्थीगण

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**निर्णय**

**दिनांकः– 18.6.2018**

पत्रावली आज दिनांक केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार 2018 केम्प सावर में पेश हुई। प्रार्थी / अप्रार्थीगण उपस्थित। संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता एक वादपत्र प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की प्रार्थनापत्र वर्णित भूमि वाके ग्राम सावर तहसील सावर जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 362 के खसरा नम्बर 5094, 5095, 5096, 5097, 5099, 5141, 5142, 5143 ,5144, 5145, में दर्ज रिकॉर्ड खातेदारी आराजीयात है। वाद वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की खातेदारी कब्जे काश्त स्वामित्व की आराजीयात है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात पर प्रार्थीगण एवं प्रफॉर्मा अप्रार्थीगण के अलावा किसी भी दीगर व्यक्ति का कोई हक सरोकार नही है। वादग्रस्त आराजीयात का नक्शा ट्रेस स. 2039–40 में राजस्व अधिकारी की गलती से वाद वर्णित आराजीयात को अन्यत्र स्थान पर दर्शित कर दिया। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

हमने प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। पत्रावली आज केम्प कोर्ट न्याय आपके द्वार केम्प सावर में पेश हुई ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थनापत्र वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण की पुश्तेनी खातेदारी की आराजीयात जिससे प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र प्रेमाफेसाई केस होना पाया जाता है तथा प्रार्थनापत्र का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है।

*अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.काश्त.अधि. के तहत* वाके ग्राम सावर तहसील सावर जिला अजमेर की जमाबन्दी स. 2069–72 के खाता स. 362 के खसरा नम्बर 5094, 5095, 5096, 5097, 5099, 5141, 5142, 5143 ,5144, 5145, *है.* भूमि का स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं. 1 को मूल दावा निस्तारण होने तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थी सं.1 स्वयं एवं उनके नोकर चाकर हाली सीरी इत्यादी प्रार्थीगण की आराजीयात में कब्जे काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करें एव ंना ही किसी प्रकार का निर्माण आदि करे। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

*निर्णय आज दिनांक 18.6.2018 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया व मजमे आम में सुनाया गयां।*

उपखण्ड अधिकारी
केकडी